कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 167 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 13 जुलाई, 2023 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 314/2018 के क्रम में डीडीहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे0 वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/09/39/2023/एफ0सी0/86 दिनांक 28.04.2023 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 337/ग्रा0नि0वि0/हैलीपैड/2023–24 दिनांक 23.06.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र से प्रस्ताव में प्रस्तावित गतिविधि के 'गैर साइट विशिष्ट होने सम्बन्धी आपत्ति लगाई गयी थी, जिस क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्या समस्त संलग्नको सहित 04 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

O/C

प्रत्यावेदन

कार्यदायी संस्था का नाम– ग्रामीण निर्माण विभाग अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट

विषय – **जनपद पिथौरागढ के विकासखण्ड डीडीहाट में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 314/ 2018 के क्रम में डीडीहाट (ग्राम ननपापो) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 है0 वन पंचायत भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग,अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 314/2018 के परिपालन में जनपद पिथौरागढ के डीडीहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हैलीपैड निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी डीडीहाट के कार्यालय पत्र संख्या 903, दिनांक 30.08.2019 द्वारा ग्राम ननपापों में खसरा नम्बर 1376 मध्ये 0.15 हे0 भूमि का प्रस्ताव जिलाधिकारी पिथौरागढ के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया था **(संलग्न 01)**, तदोपरान्त अपर सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 839, दिनांक 20.10.2019 द्वारा उपरोक्त भूमि को विभागीय पायलेटों द्वारा उपयुक्त बताते हुए आंगणन गठित कर उत्तराखण्ड नागरिक उडडयन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता (स्तर–1), ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2163, 25 नवम्बर 2019 द्वारा आंगणन गठित करने हेतु आदेशित किया गया **(संलग्न 02 व 03)**। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या 182, दिनांक 26.03.2021 द्वारा 77.12 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 30.85 लाख रू0 प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी **(संलग्न 04)**। प्रस्तावित भूमि के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर वन विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर लगाई गई आपत्तियों के निराकरण उपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किया गया **(संलग्न 05)**। सहायक महानिरीक्षक (वन) भारत सरकार के पत्र 08 बी/यू0पी0सी0/09/39/2023 एफ0सी0 86, दिनांक 28.04.2023 के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 2541, दिनांक 09.05.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव की गैर साइट विशिष्ट (Non Site Specific Activity) होने के कारण विचार नही किया जा सकता है **(संलग्न 06)**।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त भूमि में कहीं पर भी पेड़ कटान नही हो रहा है, भूमि जिलाधिकारी, पिथौरागढ के माध्यम से प्रस्तावित की गयी है **(संलग्न 07 व 08)**। तथा पूर्व में चयनित भूमि नागरिक उड्डयन विभाग महानिदेशालय के हैलीकॉप्टर्स की सुरक्षा सम्बन्धित दिशा निर्देश के अनुसार मानकों के अनुरूप नहीं होने तथा क्षेत्र में अन्य कोई उपयुक्त भूमि न होने के कारण ही वन भूमि का चयन किया गया है **संलग्न 09)**। उक्त भूमि को उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, देहरादून के विभागीय पाइलटों द्वारा भी उपयुक्त पाया गया है जिसकी पुष्टि अपर सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 839, दिनांक 20.10.2019 द्वारा भी की गयी है **(संलग्न 02)**। जिस कारण यह Non Site Specific Activity नही है। उक्त भूमि का चयन जिलाधिकारी व उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित/चयनित किया गया है तथा हैलीपैड का निर्माण उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा चयनित भूमि पर ही कराया जाना उचित होगा। उक्त कार्य को जनहित में पूर्ण किये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों व शासन स्तर से लगातार निर्देशित कियां जा रहा है।

अतः कृपया उक्त कार्य की महत्ता तथा आवश्यकता को देखते हुए निर्माण कार्य हेतु उक्त वन भूमि प्ररताव पर पुनः विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
अस्थाई प्रखण्ड–डीडीहाट।